

**अनुदान संख्या 43 - अप्रत्यक्ष कर**  
**GRANT No. 43-INDIRECT TAXES**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	1,20,00	37,99	-82,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			81,85
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1804,60,00		
पूरक	Supplementary	880,20,00	2367,99,05	-316,80,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			202,07,15
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	315,20,00	131,26,26	-183,93,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			174,51,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 100.00 लाख रु. का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (31680.95 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 88020.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 36 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.31680.95 lakhs) constituted 36 percent of the supplementary grants of Rs.88020.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs			
मू.	O.	56520.00	76466.21	71469.30
पू.	S.	23102.00		
पु.	R.	-3155.79		
मुख्य शीर्ष "2038" संघ उत्पाद शुल्क	Major Head "2038" Union Excise Duties			
मू.	O.	123240.00	171335.04	165035.73
पू.	S.	64918.00		
पु.	R.	-16822.96		
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing			
मू.	O.	650.00	471.60	294.02
पु.	R.	-178.40		

(I) 52.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.52.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" - "राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" - 416.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 516.65 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 174.80 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपस्करों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2037" - "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Central Revenues Control Laboratory"- the original provision of Rs.416.65 lakhs was augmented to Rs.516.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.174.80 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in tendering process for purchase of equipments.

(खा) मुख्य शीर्ष “2038” - “निदेशन और प्रशासन - प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)” - 2349.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 61.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2410.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 603.54 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने, गृह व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए दैनिक वेतनभोगियों को काम पर न रखे जाने, कम्प्यूटर के रख-रखाव के लिए कम आवश्यकता होने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2037” -

(क) “राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन” - 17549.35 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8718.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 26267.35 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, पुरस्कार संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने और 1 प्रतिशत की वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत सभी संभावित प्रस्तावों का निपटान न किए जाने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के समेकन संबंधी लोकल एरिया नेटवर्क परियोजना के चरण-II के पूरा न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 3725.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) “निवारक तथा अन्य कार्य” -

(i) “समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन” - 31040.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13145.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 44185.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, किराए पर लिए गए कार्यालय भवन के

(B) Major Head “2038”- “Direction and Administration - Directorate of Publicity and Public Relations (Customs and Central Excise)” – the original provision of Rs.2349.50 lakhs was augmented to Rs.2410.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.61.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.603.54 lakhs (including supplementary grant) - due to non-submission of bills by Directorate of Advertising and Visual Publicity, non-engagement of daily wagers for house keeping job, less requirement for maintenance of computers and economy measures.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2037” -

(a) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs – Major Ports” – the original provision of Rs.17549.35 lakhs was augmented to Rs.26267.35 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8718.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3725.67 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of reward cases, less tour undertaken by officers and non-clearance of all expected proposals under 1% incremental revenue earning scheme, non-completion of Phase-II of Local Area Network Project of consolidation of computerization programmes of CBEC and economy measures.

(b) “Preventive and Other Functions”-

(i) “Sea Customs-Major Ports” – the original provision of Rs.31040.00 lakhs was augmented to Rs.44185.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13145.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of

किराए में संशोधन संबंधी प्रस्तावों और पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने, 1 प्रतिशत की वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत संभावित प्रस्तावों का निपटान न किए जाने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के समेकन संबंधी लोकल एरिया नेटवर्क परियोजना के चरण-II के पूरा न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 4272.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

- (ii) "संभार-तंत्र निदेशालय" - 1241.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 164.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1405.70 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और न्हावा शेवा स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास अधिष्ठापित मोबाइल कंटेनर स्कैनरों के संबंध में वार्षिक रख-रखाव संविदा के निपटान में विलंब होने के कारण 150.20 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

- (i) "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय" - 2030.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 610.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2640.30 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और सभी विलंबित पुरस्कार मामलों का निपटान न किए जाने और आबंटन की सीमा तक 1 प्रतिशत की वर्धमान राजस्व आय स्कीम के अंतर्गत निधि का उपयोग न किए जाने के कारण 309.13 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

- (ii) "प्रणाली और आंकडा प्रबंधन" - 12036.80 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14980.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 27016.80 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम्प्यूटरीकरण परियोजना के

Rs.4272.77 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals for revision of rent of hired office building and reward cases, less tour undertaken by officers, non-clearance of expected proposals under 1% incremental revenue earning scheme, non-completion of Phase-II of Local Area Network Project of consolidation of computerization programmes of CBEC and economy measures.

- (ii) "Directorate of Logistics"- the original provision of Rs.1241.70 lakhs was augmented to Rs.1405.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.164.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.150.20 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and delay in clearance of annual maintenance contract in respect of mobile container scanner installed at Jawahar Lal Nehru Port Trust, Nhava Sheva.

(B) Major Head "2038" -

(a) "Direction and Administration"-

- (i) "Directorate General of Central Excise Intelligence" - the original provision of Rs.2030.30 lakhs was augmented to Rs.2640.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.610.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.309.13 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-clearance of all pending reward cases and non-utilisation of fund under 1% incremental revenue scheme to the extent allocated.

- (ii) "System and Data Management" - the original provision of Rs.12036.80 lakhs was augmented to Rs.27016.80 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14980.00 lakhs which, however,

समेकन के चरणों के पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण 12435.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) “संग्रहण प्रभार - आयुक्तालय” - 100874.81 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47430.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 148304.81 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कम दावे प्राप्त होने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 10876.13 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2038” - “अन्य व्यय - अन्य मदें” के अंतर्गत 140.98 लाख रु. की बचत (326.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के अधीन कार्यालय भवन के लिए स्वीकृत कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2216” - “सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - रख-रखाव और मरम्मत” के अंतर्गत 355.98 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों का निष्पादन न किए जाने सरकारी रिहायशी भवनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए कम मांग होने और सरकारी रिहायशी भवनों का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष “2037” - “निवारक और अन्य कार्य - राजस्व आसूचना निदेशालय” - 130.23 लाख रु. का अधिक व्यय (794.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4118.70 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई स्थित नए कार्यालय के लिए बिजली और रख-रखाव प्रभारों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और क्षेत्रीय इकाईयों के लिए कम्प्यूटर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

remained unutilised to the extent of Rs.12435.21 lakhs – due to delay in completion of stages of consolidation of computerisation project.

(b) “Collection Charges - Commissionerates” – the original provision of Rs.100874.81 lakhs was augmented to Rs.148304.81 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47430.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10876.13 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims for medical reimbursement, less tours undertaken by offices and economy measures.

(IV) Under Major Head “2038” - “Other Expenditure - Other Items” - saving of Rs.140.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.326.00 lakhs) was due to non-execution of work sanctioned for office building under Central Excise Commissionerates.

(V) Under Major Head “2216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Maintenance and Repair” - saving of Rs.355.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to non-execution of sanctioned cases by the Central Public Works Department less demands towards maintenance and repairs of Government residential buildings and non-acquisition of Government residential buildings.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “2037” – “Preventive and Other Functions – Directorate of Revenue Intelligence” – excess of Rs.130.23 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4118.70 lakhs including supplementary grant of Rs.794.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of electric and maintenance charges in respect of new office at Mumbai and purchase of computer for zonal units.

(II) मुख्य शीर्ष "2038" -

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "निरीक्षण" -165.71 लाख रु. का अधिक व्यय (550.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2328.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने, नए कार्यालय भवन में बिजली संबंधी निर्माण कार्यों और नवीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक की राष्ट्रीय अकादमी" - 374.00 लाख रु. का अधिक व्यय (365.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1682.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, अकादमी में ज्यादा परिवीक्षार्थियों के शामिल होने, परिवीक्षार्थियों द्वारा ज्यादा क्षेत्रीय दौरे किए जाने, दो नए व्याख्यान सभा भवनों की स्थापना किए जाने, बिजली प्रतिष्ठानों का रख-रखाव किए जाने और परिवीक्षार्थियों के लिए लैपटाप का प्रावधान किए जाने के कारण हुआ।

(ग) "सतर्कता" - 213.40 लाख रु. का अधिक व्यय (483.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसरों का नवीकरण किए जाने और कार्यालय भवन के किराए को संशोधित किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)" - 302.80 लाख रु. का अधिक व्यय (922.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2774.70 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, वेतन एवं लेखा कार्यालयों का पुनः सज्जीकरण/नवीकरण किए जाने और विभिन्न क्षेत्रीय

(II) Major Head "2038" -

(A) "Direction and Administration"-

(a) "Inspection" - excess of Rs.165.71 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2328.15 lakhs including supplementary grant of Rs.550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, towards electricity works and renovation in new office building.

(b) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)" - excess of Rs.374.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1682.10 lakhs including supplementary grant of Rs.365.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, more probationers joining academy, more field visits of probationers, setting up of two new lecture halls, maintenance of electric installation and provision of laptops for probationers.

(c) "Vigilance" - excess of Rs.213.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.483.30 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, renovation of premises of zonal offices and revision of rent of office building.

(B) "Collection Charges - Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC" - excess of Rs.302.80 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2774.70 lakhs including supplementary grant of Rs.922.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, refurbishment/renovation of Pay and

कार्यालयों में कम्प्यूटर और उपसाधनों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(गा) “अन्य व्यय - भूमि सीमा शुल्क का संग्रहण” - 158.93 लाख रु. का अधिक व्यय (1005.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Accounts Offices and purchase of computer and accessories in various field offices.

(C) “Other Expenditure – Collection of Land Customs” – excess of Rs.158.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1005.60 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6<sup>th</sup> Central Pay Commission Report.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “4047” अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4047” Capital Outlay on Other Fiscal Services			
मू.	O. 15020.00	10745.00	9988.41	-756.59
पु.	R. -4275.00			
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works			
मू.	O. 14500.00	2044.00	1858.17	-185.83
पु.	R. -12456.00			
मुख्य शीर्ष “4216” आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4216” Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 2000.00	1280.00	1279.68	-0.32
पु.	R. -720.00			

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत 5011.59 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रेणी II जलयानों की अधिप्राप्ति के संबंध में नौका निर्माताओं को अदायगी किए जाने के लिए बिलों का निपटान न किए जाने और 4 फिक्सड स्कैनरों और 3 मोबाइल स्कैनरों की खरीद की निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और स्कैनरों को अधिष्ठापित किए जाने के लिए पत्तन प्राधिकारियों से भूमि की खरीद के लिए शर्तें लगाए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 12641.83 लाख रु. की बचत (14500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, चैन्नई में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य का निष्पादन न किए जाने तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने की वजह से लंबित देयताओं का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 720.32 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी आवास की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive and other Functions" - saving of Rs.5011.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non-clearance of bills for payment to boat builder in respect of procurement of category II vessel and non-finalisation of tenders for purchase of 4 fixed scanners, 3 mobile scanners and terms for purchase of land from Port Authorities for installation of scanners.

(III) Under Major Head "4059"- "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready built Accommodation"- saving of Rs.12641.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14500.00 lakhs) was due to non-execution of sanctioned work by Central Public Works Department at Central Excise Commissionerate, Chennai and non-clearance of pending liabilities owing to non-completion of necessary formalities by National Building Construction Company.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees - Acquisition of Ready built flats" - saving of Rs.720.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for purchase of residential accommodation.